विलोपित विलोपित विलोपित

न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर मप्र

पुनर्विलोकन-3083/2018/हरदा/भू.रा. प्रकरण कमांक........... / 2018

1) दिनेशचन्द्र दुवे आत्मज मूलचंद दुवे

2) पंकज बाफना आत्मज नेमीचंद्र बाफना

कमांक 01 व 02 आयु –वयस्क

कमांक 01 व 02 निवासीगण – तहसील

व जिला हरदा मप्र.........................

पुनर्विलोकनकर्तागण

विरुद्ध

सौरभ फुलरे आत्मज संतोष फुलरे

आयु – वयस्क, निवासी – उडा तहसील

व जिला हरदा मप्र.............................

अनावेदक

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51 मप्र भू राजस्व सहिंता 1959

उक्त पुनर्विलोकन माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मप्र द्वारा डब्लू पी कमांक 9413 / 2018 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2018 के निर्देशानुसार माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर मप्र द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक पी बी आर / 02295 / 2018 में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 12.04.2018 कें विरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है।

श्री........................ द्वारा आज दि. 18/5/18 प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 29-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुर्नविलोकन/3083/2018/हरदा/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-6-2018	आवेदकगण की ओर से श्री राजेन्द्र पांचाल एवं श्री सुनील सिंह जादौन अभिभाषकगण उपस्थित । माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 9413/2018 में पारित आदेश दिनांक 1-5-2018 के की प्रति का अवलोकन किया गया । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में कलेक्टर द्वारा सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 का आदेश पारित किये जाने का भी उल्लेख है । अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के प्रकाश में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12-4-18 को पारित आदेश पुर्नविलोकन में लेकर निरस्त किया जाता है । मूल प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/हरदा/भू.रा./2018/2295 सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है । अध्यक्ष	